

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन-05 सेक्टर 06

भिलाई, दिनांक-21/08/2026

क्र. / लो.क.वि / जोन-5/2026 / 1427

निविदा सूचना

- आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक-10.06.2026 एवं इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर 2026 से लागू तथा नान एसओआर पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कार्य हेतु निविदा की तिथियां निम्नानुसार है :-
1. निविदा जारी करने की तिथि- 21.08.2026
 2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि- 11.09.2026 सांय 5.30 बजे तक
 3. निविदा खोले जाने की तिथि- 15.09.2026

क्र	कार्य का नाम	निविदा लागत	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	फर्म
1	वार्ड 59 क्रांत स्ट्रीट नं. 04 सेक्टर 05 भिलाई में उडिया नोहरला के पास जेन शेड निर्माण कार्य। (विधायक निधि)	199880.00	2000.00	300.00	45 दिन	ए फर्म
2	वार्ड क्र. 69 सेक्टर 09 हास्पिटल सेक्टर सी/03 उद्यान में स्थापना एवं सौंदर्यीकरण कार्य। (नूलभूत मद)	189000.00	2000.00	300.00	45 दिन	ए फर्म
3	वार्ड क्र. 69 सेक्टर 09 हास्पिटल सेक्टर के विभिन्न स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, नव स्थापना, वैनलिक स्थापना, उद्यान स्थापना एवं नाली/पुलिया स्थापना कार्य। (नूलभूत मद)	310928.00	4000.00	750.00	60 दिन	ए फर्म
4	वार्ड क्र. 67 सेक्टर 07 के विभिन्न स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, नव स्थापना, वैनलिक स्थापना, नाली/पुलिया स्थापना एवं सड़क स्थापना कार्य। (नूलभूत मद)	304346.00	4000.00	750.00	60 दिन	ए फर्म
5	वार्ड 70 हुडको श्रीराम चौक के पास एनआईजी 01-767 के सामने निनी उद्यान निर्माण कार्य। (पार्षद निधि)	145938.00	2000.00	300.00	60 दिन	ए फर्म
6	वार्ड 66 सेक्टर 07 पूर्व स्थित शिवधाम तालाब में रंग सेनान, सांदल्यकरण, स्थापना एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य। (नूलभूत मद)	208140.00	2500.00	750.00	45 दिन	ए फर्म
7	वार्ड क्र. 69 सेक्टर 09 हास्पिटल सेक्टर सड़क 7 के समीप वैडमिंटन कोर्ट का स्थापना कार्य। (नूलभूत मद)	157099.00	2000.00	300.00	30 दिन	ए फर्म

नियम एवं शर्त :- (1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा सजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। (3) घरोहर राशि एक.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी, जमा करना होगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में निर्धारित शुल्क की राशि डी.डी. के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से जमा करना होगा। प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारों ई-पंजीयन, जी एस टी प्रमाणपत्र, पैनकार्ड/अधिकार प्रमाण पत्र, जीवित साल्वेंसी समस्त प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति एवं नोटरी से जारी (100/-रु०) का शपथ पत्र की नूलप्रति, लिकाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिकाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। (5) सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (6) नगर निगम के वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर दैनिक से 1% की राशि की कटौती की जावेगी किन्तु निगम वाहन उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के रस्ते से स्वयं के वाहन से पानी लेने पर 0.5% राशि की कटौती की जावेगी। (7) सकल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के समतुल्य परकारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एक.डी.आर., पोस्टऑफिस टाईड डिमांडिट, एन.एस.सी. जो कि जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के नाम से देय होगा, भांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वयंसेव निरस्त हो जावेगी एवं जमा घरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। (8) शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का नियमानुसार पी.एफ.कटौती किया जाना, तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खातों में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा कराया जाना है। (9) प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। (10) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। (11) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (12) निविदा से वंचित किये गये ठेकेदारों/एजेंसियों की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (13) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल/कार्य का तथा कार्य के पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ्स देयक से साध्य प्रस्तुत करने की जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। (14) कार्य के संबंध में विस्तृत नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagar.nigam.com अथवा संवाचनालय की वेबसाईट www.ud.cg.gov.in and tender-ward@cg.gov.in से भी देखी जा सकती है।

जो नमूना

नगर पालिक निगम, भिलाई